Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include Chattisgarhi language in the Eight Schedule to the Constitution of India

श्री लखन लाल साहू: अध्यक्ष महोदया, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ वऐाऩ 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। किसी राज्य की भाऐा के संबंध में हमारे पूर्वजों का मत है कि मातृभाऐा राज्य की भाऐा होती है। ...(व्यवधान)

* हमारे पूर्वजों ने भाऐा के संबंध में जैसा कहा है कि राऐट्रभाऐा राऐट्र की पहचान होती है, वैसे ही मातृभाऐा राज्य की पहचान है। जैसा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं उसी तरह छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलते हैं। महतारी माने माता ही होती है और उसे हम श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन् 2000 में करीब 17 वऐाऩ पहले हुआ जो मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य के रूप में है। तब से छत्तीसगढ़ी भाऐा को राजभाऐा के लिए लगातार मांग उठी है। सन् 2007 में छत्तीसगढ़ी भाऐा को छत्तीसगढ़ राज्य में राजभाऐा का दर्जा दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार से लगातार मांग करती रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने विधान सभा में अशासकीय संकल्प् सर्वसम्मति से पारित कर केद्र सरकार को भेजा है, परन्तु आज तक संविधान की अनुसूची आठ में शामिल नहीं हो पाया है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाऐा से भी कम बोली जाने वाली भाऐा मणिपुरी, कोकणी, बोडो, मैथिली जैसी भाऐाएं जिनका पृथक से राज्य भी नहीं है, ऐसी भाऐाओं को राजभाऐा का दर्जा दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य से भी कम क्षेत्रफल वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, गोवा व मणिपुर में उनकी अपनी भाऐाओं को भी राजभाऐा की मान्यता दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ी भाऐा केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराऐट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, बिहार सहित देश के विभिन्न प्रान्तों के साथ करोड़ों लोगों के द्वारा दैनिक कार्य जैसे अस्पताल, शासकीय कार्यालय, कोर्ट कचहरी, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों में प्रयोग की जाती है। लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने के कारण शासकीय कार्यों में लिखा-पढ़ी, पत्राचार नहीं की जाती।

मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाऐा के बहुसंख्यक लोगों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ी भाऐा को केद्र सरकार संविधान की अनुसूची 8 में शामिल कर राजभाऐा का दर्जा दे, जिससे छत्तीसगढ़ी भाऐा का मान-सम्मान देश दुनिया में हो सके।

आपने मुझे छत्तीसगढ़ी भाऐा में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए जय जोहार-जय छत्तीसगढ़।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुऐपेद्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री लखनलाल साहू द्वारा उठाए गए विऐाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।